

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 213/2016

1. विधाधर पुत्र स्व० नागर जाति मेघवंशी निवासी ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू।
2. गोपी पुत्र स्व०नागर जाति मेघवंशी निवासी ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू।
3. दड़की पत्नी स्व० नागर जाति मेघवंशी निवासी ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू।

—वादीगण

**बनाम**

1. विधाधर पुत्र करणा जाति मेघवंशी निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू।
  2. जवाहरा पुत्र करणा जाति मेघवंशी निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू।
  3. कमलेश पुत्र करणा जाति मेघवंशी निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू।
  4. ख्याली पुत्र पुत्र करणा जाति मेघवंशी निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू।
  - 5/1 बिमला पुत्री मांगी व करणा पत्नी निवास जाति मेघवंशी निवासी जाखल तहसील नवलगढ।
  - 5/2 सन्तरा पुत्री मांगी व करणा पत्नी निवास जाति मेघवंशी निवासी जाखल तहसील नवलगढ।
  - 5/3 सीता पुत्री मांगी व करण जाति मेघवंशी निवासी जाखल तहसील नवलगढ।
5. सीताराम दत्तक पुत्र परतु जाति मेघवंशी निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू।

—प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी :- श्री विधाधर सिंह जाखड

अधिवक्ता प्रतिवादीगण :- श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य

तथा श्री महावीर सिंह खिचड़


**दावा- इस्तकरार हक, हुक्म इस्तनाई दवामी व बंटवारा जमीन  
निर्णय**

निर्णय दिनांक 24.01.2020

वाद वादीगण दिनांक 04.06.2019 को प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2019/2708 दिनांक 24.12.2019 प्रस्तुत करने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण डिकी किये जाने में सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम कारी की भूमि ख.नं. 1588/1.65, 1589/0.04, 1590/0.66, 1591/0.75 किता 4 कुल रकबा 3.10 है० का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम कारी की भूमि ख.नं. 1588 रकबा 1.03 किस्म बारानी द्वितीय लगान 6.36 का सीताराम दत्तक पुत्र परतुराम जाति मेघवंशी सा०देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम कारी की भूमि ख.नं. 1588/1 रकबा 0.62 है० किस्म बारानी द्वितीय 0.37 व बारानी तृतीय 0.25 ख०न० 1589 रकबा 0.04 किस्म बारानी III, ख०न० 1590 रकबा 0.37 हेक्टर किस्म बारानी III कुल किता

  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

3 कुल रकबा 1.03 हैक्टर का विधाधर, गोपी पिता नागर, दडकी पत्नी स्व. नागर जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. ग्राम कारी की भूमि ख.नं. 1590 रकबा 0.29 हैक्टर किस्म बारानी III 0.09 व बारानी II 0.20, खसरा नम्बर 1591 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म बारानी II 0.43 व बारानी III 0.32 कुल कित्ता 2 रकबा 1.04 का विधाधर, जवाहरा, कमलेश, ख्याली पिता करणा, बीमला संतरा, सीता पुत्रिया करणा जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24-1-2020  
(मरारीलाल मन्स)  
नवलगढ प्रधिकार  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
श्री मुरारीलाल शर्मा ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा- इस्तकरार हक, हुक्म इम्तनाई दवामी व बंटवारा जमीन

मुकदमा सं0:- 213/2016

(विधाधर आदि बनाम विधाधर आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरु श्री मुरारीलाल शर्मा ( आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिब मुददई रुबरु वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 24.01.2020 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम कारी की भूमि ख.नं. 1588/1.65, 1589/0.04, 1590/0.66, 1591/0.75 किता 4 कुल रकबा 3.10 है0 का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम कारी की भूमि ख.नं. 1588 रकबा 1.03 किस्म बरानी द्वितीय लगान 6.36 का सीताराम दत्तक पुत्र परतुराम जाति मेघवंशी सा0देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम कारी की भूमि ख.नं. 1588/1 रकबा 0.62 है0 किस्म बरानी द्वितीय 0.37 व बरानी तृतीय 0.25, ख0न0 1589 रकबा 0.04 किस्म बरानी 111, ख0न0 1590 रकबा 0.37 हेक्टर किस्म बरानी 111 कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 हैक्टर का विधाधर, गोपी पिता नागर, दडकी पत्नी स्व. नागर जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम कारी की भूमि ख.नं. 1590 रकबा 0.29 हैक्टर किस्म बरानी 111 0.09 व बरानी 11 0.20, खसरा नम्बर 1591 रकबा 0.75 हेक्टर किस्म बरानी 11 0.43 व बरानी 111 0.32 कुल किता 2 रकबा 1.04 का विधाधर, जवाहरा, कमलेश, ख्याली पिता करणा, बीमला संतरा, सीता पुत्रिया करणा जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....-.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 24 माह 01 सन.2020 को जारी की गई।

**उपखण्ड अधिकारी**  
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00

